राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
Email: jdbed.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमाकः–एफ.24(NOC26-27)/ITEP/बी.एड./आकाशि/2026 दिनांकः– ई–हस्ताक्षर दिनांक

आदेश

पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के द्वारा जारी मान्यता आदेश क्रमांक NCTE/WRC/2627202509162548/RAJASTHAN/2025/Recognition Order दिनांक 18.06.2026 के अनुसरण में आई.टी.ई.पी. के अन्तर्गत निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु निम्नलिखित निजी महाविद्यालय को सत्र 2026–27 से अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र अधोलिखित शर्तो के अधीन एतद्द्वारा जारी किया जाता हैः–

Sr. No	Institute Name	Discipline	Stage(s)	Intake	Duration of the Programme	Co-Ed/ Women
1.	Biyani Girls B.Ed. College, Vidhyadhar Nagar, Sector-3, Jaipur, Rajasthan-302039	B.Sc.B.Ed.	Secondary	1 unit (50 seats per unit)	4 year	Women

निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अद्योलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंः–

1. निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे।
2. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।
3. प्रभावी एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन अनुसार योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चित्ता की जावेगी।
4. निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं की वेबसाइट निर्मित कर महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगी।
 I. एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश,
 II. राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र
 III. अनुमोदित शैक्षणिक स्टॉफ एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची
 IV. संचालित पाठ्यक्रम का नाम मय स्वीकृत सीट संख्या
 V. अन्य आवश्यक सभी सूचनाएं
5. प्रभावी एनसीटीई रेगूलेशन की पालना सुनिश्चित करे।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

(नथमल डिडेल)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. समन्वयक, आई.टी.ई.पी., वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम क्षेत्रीय समिति,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जी–7,सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075।
8. सचिव/प्राचार्य, संबंधित संस्था/महाविद्यालय।
9. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Designation : Commissioner
Date: 2026.11.03 18:19:38 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 25339300
M e-Sign